निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1933 (श0)

(सं0 पटना 58) पटना, सोमवार, 13 फरवरी 2012

पर्यावरण एवं वन विभाग

————————

अधिसूचना

9 फरवरी 2012

सं0 वन्यप्राणी–02/2003 (खण्ड–ii)–111(ई०)—नीलगायों (Boselaphus tragocamelus) द्वारा फसलों को पहुँचाई जा रही क्षति के प्रशमन हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) की धारा–4(1)(bb) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के वैशाली जिले के जिला पदाधिकारी/अनुमंडलाधिकारियों को अपने अधिकारिता क्षेत्र में नीलगायों (Boselaphus tragocamelus) पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उपरोक्त अधिनियम की धारा–11(1)(b) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से चार माह तक की अवधि के लिए मानद वन्यप्राणी प्रतिपालक (Honorary Wildlife Warden) नियुक्त करती है। अधिनियम की धारा–5(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को, अधिनियम की धारा–11(1)(b) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति को मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (वैशाली जिला के जिला पदाधिकारी/अनुमंडलाधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगा :–

1. मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (Honorary Wildlife Wardens), मनुष्यों तथा फसलों को क्षति पहुँचाने वाले नीलगायों को, अन्य विकल्पों के अप्रभावी रहने पर लिखित रूप से मारने की अनुमति देंगे।

2. मानद वन्यप्राणी प्रतिपालक (Honorary Wildlife Warden) उपरोक्त प्रत्यायोजन के अन्तर्गत कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार को समर्पित करेंगे।

3. मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (Honorary Wildlife Warden) को नीलगायों के शावकों को मारने या मारने की अनुमति देने पर रोक होगी।

4. मृत नीलगायों का अग्नि संस्कार निश्चित रूप से कराया जायेगा।

5. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं का अनुपालन किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 58-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in